राज्यपाल सचिवालय

राजभवन, जयपुर

राज्यपाल ने दी विधानसभा सत्र आहूत करने की स्वीकृति

जयपुर, 29 दिसम्बर। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने आगामी 23 जनवरी से पन्द्रहवी राजस्थान विधानसभा का सत्र आहूत करने की स्वीकृति प्रदान की है ।

मुख्यमंत्री ने की राज्यपाल से मुलाकात

पेपर लीक प्रकरण और कोटा में आत्महत्याओं पर त्वरित संज्ञान लेकर कार्यवाही करने की आवश्यकता जताई

जयपुर, 29 दिसम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को राजभवन पहुंच कर राज्यपाल श्री कलराज मिश्र से मुलाकात की।

राज्यपाल श्री मिश्र से इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति की राजस्थान यात्रा तथा प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किए जाने हेतु भी चर्चा की।

राज्यपाल श्री मिश्र ने मुख्यमंत्री श्री गहलोत को कोटा में कोचिंग संस्थानों में लगातार छात्र-छात्राओं की आत्महत्या के प्रकाशित समाचारों पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार के स्तर पर इस सम्बंध में प्रभावी कार्य योजना बना कर कार्य करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कोचिंग संस्थाओं के प्रभावी नियन्त्रण, वहां शुल्क का निर्धारण, तनाव व दबाव रहित शिक्षण व्यवस्था, साप्ताहिक अवकाश, उचित स्वास्थ्य देखभाल, योग एवं खेल के माध्यम से तनाव प्रबन्धन जैसे मुद्दों को सम्मिलित करते हुए इस सम्बंध में शीघ्र कुछ किए जाने के भी सुझाव दिए।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री श्री गहलोत के समक्ष विभिन्न समाचार पत्रों में पेपर लीक के संबंध में प्रकाशित खबरों पर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोक सेवा के लिए कार्मिकों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाना राज्य सरकार का संवैधानिक और नैतिक दायित्व है। उन्होंने राज्य सरकार स्तर पर इस सम्बंध में तत्काल उचित कार्ययोजना का निर्माण करते हुए उसका कठोरता से अनुपालन करने पर जोर दिया। श्री मिश्र ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक होना परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ छल है। इससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। उन्होंने पेपर लीक करने में संलिप्त कोचिंग संस्थानों, संगठित अपराधियों और भर्ती संस्थानों के पदाधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता जताई।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल श्री मिश्र ने मुख्यमंत्री श्री गहलोत को पेपर लीक प्रकरण और कोटा में कोचिंग संस्थाओं में छात्र-छत्राओं की बढ़ती आत्महत्या प्रकरणों में त्वरित संज्ञान लेकर कार्यवाही करने के लिए पृथक से पत्र भी लिखे हैं।